Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) मुकाम जोधपुर

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार जोधपुर बनाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जाजीवाल जाखडा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि) जोधपुर

रेफरेंस प्रार्थना पत्र नं. 23 सन् 2024

| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.06.25 | पत्रावली पेश हुई।.<br>हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव पत्रावली का अवलोकन किया। भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 मे बताया गया है कि **"बंदोबस्त आयुक्त या भूमि अभिलेख निदेशक या कलेक्टर किसी राजस्व न्यायालय या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विनिश्चित किसी मामले या की गई कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, ताकि पारित आदेश की वैधता या औचित्य तथा कार्यवाही की नियमितता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर सके और यदि उसकी यह राय है कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही या पारित आदेश में परिवर्तन किया जाना चाहिए, उसे रद्द किया जाना चाहिए या उलट दिया जाना चाहिए, तो वह मामले को अपनी राय के साथ बोर्ड के आदेश के लिए निर्देशित करेगा।**<br>प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि "ग्राम जाजीवाल जाखडा के खसरा संख्या 118 से रकबा 7.10 बीघा किस्म गै.मु.आगोर" का भू. राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जाजीवाल जाखडा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि) जोधपुर को नियमन/आवंटन/सेट-अपार्ट किया गया है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार धारा 82 के तहत जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, चूंकि उक्त आवंटन आदेश श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा किया गया है अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के अधिकारिता में नहीं होने के कारण तहसीलदार जोधपुर को लौटाया जाता है।<br>आदेश आज दिनांक 20.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।<br>(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)<br>अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)<br>जोधपुर<br>अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर | |

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Scanned with CamScanner